न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं.– 184 / 2025
जीसीएमएस सख्या – (2025 / 370)

निगरानीकर्ताः–

1. कुंभाराम पुत्र स्व. श्री चुनाराम
2. श्रीमती सीता पत्नी श्री कुंभाराम
3. श्रीमती मूमली धर्मपत्नी श्री मुन्नाराम जातियान मेघवाल निवासीगण गांव पालासनी, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगणः–

1. श्रीमती वरजू देवी धर्मपत्नी श्री पन्नाराम जाति माली निवासी गांव पालासनी, तहसील व जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत, पालासनी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पालासनी, तहसील व जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बविरूद्व दिनांक 20.07.2011 ग्राम पंचायत पालासनी पट्टा सं. 22 मिसल सं. 69 / 2011 में अवैधानिक नियम विरूद्ध पट्टा बनाप 35 वर्गगज का जारी किया गया, को तत्पश्चात् उप पंजीयक, तृतीय, जोधपुर के यहां दिनांक 26.12.2011 को पंजीबद्ध किया गया, को रिकॉर्ड में नोट लगाकर निरस्त करने हेतु।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री बी.एस. सोलंकी, खुश्बू कंवर सोलंकी (प्रार्थीगण की ओर से)।
2. अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई (अप्रार्थी सं. 01 की ओर से)

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय **दिनांक : 30.03.2026**

1. यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत ग्राम पंचायत पालासनी पंचायत समिति लूणी द्वारा मिसल सं. 69/2011 दायर दिनांक 05.05.2011 में पट्टा बुक सं. 99 में से जारी आवासीय पट्टा सं. 22 प्ररूप 23क (नियम 157(1)) दिनांक 20.07.2011 को अपास्त करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 07.11.2024 को प्रस्तुत की गई है।
2. निगरानी प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 01 की ओर से श्री बाबूलाल विश्नोई अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। ग्राम पंचायत पालासनी से आक्षेपित पट्टे से संबंधित मूल रिकॉर्ड तलब किया गया।
3. निगरानी मीमों में अंकित अभिवचनों अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारवान तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकार का कदीमी कब्जा का एक रहवासीय भूखण्ड ग्राम पालासनी की आबादी भूमि में आया हुआ है। जिसमें उनके पुराने निर्माण एवं रहवासीय ठांव बने हुए है, जिसमें उनका पानी–बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है, जिसका उपयोग वे पूर्वजों के समय से कर रहे है। अप्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत से गलत व अवैध रूप से गैर कानूनी हथकण्डे अपनाकर, गलत कब्जा दर्शाकर ग्राम पंचायत से मिसल सं. 69/2011 में पट्टा सं. 22 दिनांक 20.07.2011 को प्राप्त कर लिया है। ग्राम पंचायत ने प्रार्थीगण के कब्जे की जांच किये बिना ही नियमों में विहित प्रक्रिया का पूरी तरह से उल्लंघन करके अप्रार्थी के पक्ष में, अप्रार्थी का पुराना कब्जा नहीं होने के बावजूद, पट्टा जारी कर दिया है, जिससे प्रार्थीगण के साथ अन्याय हुआ है। नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी करने हेतु 50 वर्षों से भी अधिक अवधि का पुराना रहवासीय भवन निर्मित होना आवश्यक है। पंरतु अप्रार्थी का विवादग्रस्त भूखण्ड पर कभी भी भवन निर्मित नहीं हुआ, फिर भी बिना जांच किये नियमितिकरण का पट्टा अप्रार्थी के नाम से जारी किया है, जो स्पष्टतः गलत होने से खारिज योग्य है। प्रार्थीगण के नाम से आधार कार्ड, वोटरलिस्ट व अन्य कागजात बने हुए है। कब्जे की जांच तीन पंचों की कमेटी ने नहीं की तथा न ही मौके का निरीक्षण कर नक्शा बनाया तथा न ही सार्वजनिक नोटिस जारी कर आपत्तियां मांगी गई। अप्रार्थी ने आवेदन ही पेश नहीं किया तथा न ही पत्रावली कायम की तथा न ही अप्रार्थीगण ने पुराने कब्जे के सबूत पेश किये है, फिर भी अप्रार्थीगण को अनुचित लाभ पहुंचाने हेतु ग्राम पंचायत ने नियमों

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

के परे जाकर प्रार्थीगण के पुराने कब्जे की भूमि पर गैर कानूनी तरीके से पट्टा जारी किया है, जो खारिज किया जावे। सरपंच द्वारा की गई कार्यवाही पर ग्राम सेवक के हस्ताक्षर नहीं है। पट्टों में पडौस गलत लिखा है। अतः गलत पट्टे की जानकारी होने पर यह निगरानी पेश है।

4. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक गण की बहस निगरानी पर सुनी गई।

5. निगरानीकार के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.एस. सोलंकी ने निगरानी मीमों में अंकित अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का आक्षेपित पट्टे की भूमि पर पुराना पुश्तैनी आवासीय भवन निर्मित है, फिर भी ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी 1 वरजू देवी के पक्ष में बिना कब्जे की जांच किये ही पट्टा जारी कर दिया है। जिसमें ग्राम पंचायत ने नियमों में विहित प्रक्रिया का पालना नहीं किया है। अप्रार्थी के पति पन्नाराम ने दिनांक 10.06.2024 को लिखित में दिया कि वह पट्टा सरेण्डर कर देंगे परंतु वादा नहीं निभाया।

वरजू देवी ने सन् 2015 में सिविल कोर्ट में शाश्वत निषेधाज्ञा का वाद दायर किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। पट्टे में अंकित विभिन्न कार्यवाहियों की तारीखों में विरोधाभास है। नियम 146 की पालना नही की। नोटिस जारी नहीं किया। आक्षेप नहीं सुने। नियम 157(1) में नियमन हेतु 50 वर्ष का पुराना निर्मित भवन का कब्जा होना चाहिए। परंतु अप्रार्थी 1 की सन् 2021 में उम्र सिर्फ 37 वर्ष ही थी। प्रार्थीगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति है। बार–बार आवेदन पेश कर रहे है, परंतु कोई सुनवाई नही हो रही है। प्रार्थी की जानकारी से निगरानी पेश की जा रही है। अतः धारा 97 के अंतर्गत नरम रूख अपना कर निगरानी को स्वीकार करावे एवं पट्टा निरस्त करे।

6. अप्रार्थी 1 के विद्वान अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई ने प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का खण्डन करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के कब्जे की भूमि का ही आक्षेपित पट्टा जारी किया गया है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। प्रकरण में विवादित तथ्य है। प्रार्थी ने विकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को शिकायत की है, जो धारा 61 के तहत अपील के समान है। अतः अपील के समानांतर रिविजन चलने योग्य नहीं है। आक्षेपित पट्टा नियम 157(1) में जारी किया गया है जबकि प्रार्थी निलामी के कथन लिख रहा है। नियम 157 में पुराने निर्मित भवनों की आबादी भूमि

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

पर शर्तों के साथ नियमन का प्रावधान फीस अदा करने पर करता है। ग्राम की आबादी भूमि पर जारी पट्टों का रिकॉर्ड होता है, परंतु प्रार्थी ने कोई पट्टा पेश नहीं किया है। सिविल कोर्ट में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज होने पर जिला न्यायालय में अपील पेश की थी, जिसे रिमाण्ड कर पुनः सिविल कोर्ट भेजी है, जो अभी प्रति परीक्षण स्तर पर लंबित है, जिसमें प्रार्थी ने कोई काउंटर क्लेम पेश नहीं किया है। माननीय उच्च न्यायालय/सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित व्यवस्था अनुसार रिविजन सामान्यतः तीन वर्षों के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए, परंतु प्रार्थी ने सन् 2015 की जानकारी से भी तीन वर्षों में पेश नहीं की है। अतः रिविजन खारिज करने योग्य है।

नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी करने हेतु तीन सदस्यों की कमेटी की रिपोर्ट, सार्वजनिक आपत्ति जारी करना, करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आवेदक ने पूर्व में सारी जानकारी दे दी है। इस प्रकार यह निगरानी संधारण योग्य ही नहीं है। विवादास्पद तथ्यों का न्याय निर्णयन रिविजन याचिका में इस न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता। प्रकरण सिविल कोर्ट में सब–ज्यूडिस है। अतः यह रिविजन खारिज की जावे।

7. अप्रार्थी 1 के उक्त तर्कों का खण्डन करते हुए प्रार्थी अधिवक्ता ने रिबटल बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण ने संपति के पुराने कब्जे के सबूत रूप में कोई दस्तावेज यथा लाईट, पानी के पुराने बिल, निर्मित भवनों के पुराने फोटोग्राफ्स इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये है। पुराने कब्जे का पुराना कोई सबूत नहीं होने से ही सिविल कोर्ट ने स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया है। नियम 157(1) के तहत नियमन में भी नियम 146(1) के तहत मौका निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार है तथा ग्राम पंचायत ने प्राप्त भी की है। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर, आक्षेपित पट्टा खारिज किया जावे। प्रार्थी ने लिखित बहस भी पेश की ।
8. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख तथा ग्राम पंचायत से प्राप्त रिकॉर्ड का अध्ययन कर अवलोकन किया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस में प्रस्तुत कथनों एवं तर्कों पर गंभीरता एवं गहनता से मनन किया।
9. ग्राम पंचायत द्वारा संधारित मिसल सं. 69/2011–12 दिनांक 05.05.2011 अनुसार, दिनांक 04.05.2011 को अप्रार्थी वरजु देवी पत्नी पन्नाराम ने 315 वर्गफुट भूमि का आवासीय पट्टा जारी करने हेतु आवेदन ग्राम पंचायत में पेश किया जिसमें पूर्व दिशा

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

में पन्नाराम का प्लॉट तथा उत्तर दिशा में कुंभाराम का प्लॉट बताया है। आवेदन के साथ पुराना 50 वर्षों की अवधि का निर्मित होने का कोई सबूत नहीं है अर्थात् वरजू देवी ने अपने पति के प्लॉट से लगती भूमि का पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है। ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्त कमेटी ने दिनांक 10.05.2011 को मौका रिपोर्ट तैयार की। ग्राम सेवक ने नक्शा तैयार किया है। ग्राम पंचायत ने दिनांक 20.05.2011 को प्रारूप 22 (नियम 148) में आबादी भूमि के प्रस्तावित विक्रय के संबंध में आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया है। नोटिस की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है, परंतु यह नोटिस किस तारीख को, किस व्यक्ति द्वारा, किन–किन स्थानों पर, किन–किन व्यक्तियों के रूबरू चस्पा किया गया है, इसका कोई अंकन नोटिस पर कही पर भी नहीं है।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 148 के प्रावधानुसार उक्त प्रारूप 22 में सार्वजनिक नोटिस जारी करना आज्ञात्मक है, ताकि आम जनता, विक्रय की जाने वाली आबादी भूमि बाबत सार्वजनिक हित के या व्यक्तिगत हितों के संरक्षण हेतु आक्षेप ग्राम पंचायत को पेश कर सके। अप्रार्थी के अधिवक्ता के इस कथन से यह न्यायालय असहमत है कि नियम 157(1) के अंतर्गत पट्टा जारी करने के लिए सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित नहीं की जाती है तो सार्वजनिक हित की या निजी संपतियों पर भी पट्टे जारी होने से इंकार नहीं किया जा सकता। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी का कथन है कि उसका पुश्तैनी पुराना आवासीय मकान आक्षेपित पट्टे की भूमि पर बना हुआ है। अगर ग्राम पंचायत प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देती तो, प्रार्थी आक्षेप प्रस्तुत करता तथा आक्षेपों पर विधिवत सुनवाई करके ग्राम पंचायत विधि सम्मत निर्णय लेकर, आगे की कार्यवाही करती, परंतु पत्रावली पर आक्षेपों की प्राप्ति एवं निपटवारा का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अतः निश्चित रूप से प्रार्थीगण के सुनवाई के प्राकृतिक न्याय के अधिकार का उल्लंघन हुआ है तथा प्रार्थी को आक्षेप पेश करने का अवसर ही नहीं मिला।

ग्राम पंचायत की मिसल में पूर्व में हस्तलिखित आदेशिकाओं की फोटोप्रति संलग्न है, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके खानापूर्ति मात्र की गई है, ऐसी कार्यवाही को पारदर्शी एवं विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता। अप्रार्थी वरजू देवी ने अपने पुराने कब्जे के समर्थन में कोई दस्तावेज/सबूत इत्यादि पेश नहीं किये है। दिनांक

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

17.12.2021 को सिविल कोर्ट में दर्ज कराये गये बयानों में वरजू देवी ने अपनी उम्र 37 वर्ष बताई है अर्थात् दिनांक 20.07.2011 को उसकी उम्र 27 वर्ष थी, तो उसका आक्षेपित भूमि पर 50 वर्षों का पुराना कब्जा कैसे माना जा सकता है। माननीय सिविल कोर्ट ने भी स्थाई निषेधाज्ञा का वाद साक्ष्य के अभाव में दिनांक 05.11.2016 को खारिज किया है। प्रार्थी कुंभाराम ने अपने पुराने कब्जे के समर्थन में पत्नी सीता के नाम से जारी बिजली बिल दिनांक 23.02.2022, 10.02.2026, जल जीवन मिशन की रसीद दिनांक 17.11.2022, निर्मित भवन के फोटोग्राफ्स, पशु बाडा के फोटो, आधार कार्ड कुंभाराम व सीता, डाली, मूमली, रमेश, पूजा, धनराज, मुकेश, भीमाराम, पवन, परिवार राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, नरेगा जोब कार्ड की फोटोप्रतियां पेश की है।

10. उपरोक्तानुसार अभिलेखीय एवं तथ्यात्मक विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत पालासनी द्वारा जारी किया गया आक्षेपित पट्टा विधि प्रावधानों के विपरीत जारी किया गया है। पट्टाधारी वरजू देवी का आक्षेपित भूमि पर 50 वर्षों का पुराने निर्मित होने का कोई सबूत पत्रावली पर नहीं है। इसके विपरीत प्रार्थी का मौके पर भवन एवं कब्जा प्रथम दृष्ट्या पाया जाता है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों अनुसार, प्रार्थी द्वारा निगरानी पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में देरी के अंकित कारणों को यह न्यायालय पर्याप्त मानता है। प्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये है:

1. (2018)3 RLW- Ghewar Chand VS State of Rajasthan
2. (2016)4 DNJ 1799- Shanti Devi VS State of Rajasthan
3. 1994 AIR SC 853
4. 1962 AIR SC 361 Ram Lal Moti Lal VS Rewa Coal fields.
5. (2014)14 SCC 133- Imratlal VS LAO
6. 2018(1) RRT 601 K Subbaryaynddu VS Spl. Deputy Collector (LA)
7. (2005)3 SCC 752- State of Nagaland VS LIPOKAO & Ors.
8. (1998)7 SCC 123 N Bala Krishnan VS M Krishnamurthy
9. (1987)2 SCC 107- Collector, LAO VS Mst. Katiji & Ors.

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

10. 2006-07 (Supp) RRT 443, Purushottam VS Haryana

उक्त न्यायिक विनिश्चयों में प्रतिपादित सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी अंदर म्याद पेश होना सुमार की जाती है तथा देरी को कंडोन किया जाता है।

11. पूर्वोक्त विस्तृत विवेचनानुसार एवं विश्लेषणानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार योग्य है। सिविल न्यायालय में प्रस्तुत सिविल वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 05.11.2016 को निर्णय से खारिज किया जा चुका है तथा वर्तमान में अगर कहीं पर अन्य कार्यवाही इस संबंध में लंबित है तो उसके सबूत स्वरूप अप्रार्थी ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी ने केवल स्थाई निषेधाज्ञा का ही वाद पेश किया था। आक्षेपित भूमि पर अधिकार, हकों, स्वत्वों की घोषणा करने का कोई वाद अप्रार्थी के पक्ष में डिक्री होना या लंबित होने का कोई तथ्य इस पत्रावली पर पेश नहीं हुआ है। अतः धारा 97 के तहत अवैध रूप से जारी हस्तगत/आक्षेपित पट्टों को निगरानी में निरस्त करने हेतु यह न्यायालय समक्ष है।

12. हस्तगत पट्टा सं. 22 दिनांक 20.07.2011 का पंजीयन दिनांक 26.12.2011 को कराया जाना पत्रावली पर उपलब्ध पट्टे की प्रति अनुसार पाया जाता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने की समीक्षा करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा नियमों के विपरीत जारी किये गये पट्टों को, पट्टों के रजिस्ट्रीकरण होने के बाद भी, पट्टों को निगरानी में खारिज किया जा सकता है।

आदेश

13. परिणामस्वरूप, उपरोक्त निष्कर्षानुसार यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत पालासनी, पं.स. लूणी द्वारा मिसल सं. 69/05.05.2011 में पट्टा बुक सं. 99 में जारी पट्टा सं. 22, (प्रारूप 23क), दिनांक 20.07.2011 बहक वरजू देवी पत्नी पन्नाराम निवासी पालासनी बनाप 35 वर्गगज को अपास्त किया जाता है तथा उक्त पट्टे को जारी करने हेतु पारित संकल्प सं. 10 दिनांक 19.12.2010 एवं अन्य संकल्प इस पट्टे की सीमा तक भी अपास्त किये जाते है।

14. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख ग्राम पंचायत पालासनी को लौटाया जावे। ग्राम पंचायत उक्त पट्टा सं. 22 पर निरस्तीकरण का नोट लगाकर, उसे प्रमाणित करे तथा अन्य अभिलेखों में उक्त पट्टे की भूमि के संबंध में पट्टा निरस्तीकरण का नोट लगाया जावे।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

15. निर्णय की प्रति उप पंजीयक, तृतीय, जोधपुर को भेजकर आदेशित किया जाता है कि पुस्तक सं. 1, जिल्द सं. 450 पृष्ठ सं. 176, क्रम सं. 2011018826 पर दिनांक 26.12.2011 को पंजीबद्ध एवं अतिरिक्त पुस्तक सं. 1, जिल्द सं. 1796 पृष्ठ सं. 213 से 216 (बहक वरजू देवी पत्नी पन्नाराम) पर पट्टा निरस्तीकरण का नोट अंकित करने की नियमानुसार कार्यवाही करे।

16. प्रकरण में लंबित अन्य समस्त प्रार्थना पत्र (यदि कोई हो तो) एतद्द्वारा निस्तारित किये जाते है।

17. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर